

24⁰⁴/₁₉
 पत्रावली के मुद्दे मुकदमा पंजीकृत
 10/05/19
 मसौदा नं 10/05/19
 मसौदा नं 10/05/19

10⁰⁵/₁₉
 पत्रावली के मुद्दे मुकदमा पंजीकृत
 27/5/19
 मसौदा नं 10/05/19

27⁰⁵/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अपन
 प्रकरण में बहान वकील वादीगण मुनी गई। दोराने
 बहान वकील वादीगण ने अपने काफ़ूब में अंतिम
 को दोराने इफ मुताबिड राजीनामा दावा खिही
 फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व-
 रेकार्ड, राजीनामा, मुख्य परीक्षण बाबत पेश किये
 गये प्राम्प-पत्रों का अकलैडन किया गया। पूंछि
 विकारित पक्षकारान के प्राम्प विकारित आराजी
 के सम्बन्ध में राजीनामा होकर न्यायालय हाजा
 पुनारा तरन्दीड किया जा चुका है। अतः वाप वादीगण
 मुताबिड राजीनामा स्वीकार किया जाकर छोषणा की
 जाती है कि :-


आदेश

तन ग्राम जैला की दगी तहसील जखेला जिला
 खीकर अवस्थित कृषि भूमि खं नं 60, 62, 62/205
 रकबा 3.19 है। सम्पूर्ण का वादीगण को खानेदार
 काइतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खं
 नं से प्रतिवादी सं० 1 ता 7 का नाम हजफ़ किया जाता
 है। तथा राजाख ग्राम गाजोद के कृषि भूमि खं नं 52 ता
 55, 58 ता 65, 67, 75 क़िता-14 कुल रकबा 9.37 है। के 1/8
 भाग सम्पूर्ण का वादीगण एवं प्रतिवादीगण। ता 7 के स्थान
 पर प्रतिवादी नं० 1 ता 3 अकेले की, तथा खं नं 47
 रकबा 0.77 है। सम्पूर्ण का प्रतिवादी नं० 1 ता 3 को खानेदार
 काइतकार घोषित किया जाता है। बहन के संबंधित

दस्तावेज अधिकारी
 जखेला (पौवा)

न्यायकार के हिलने में आगी शक्ति पर दर्ज किया
 जाये। प्रतिवादी स० १ ता ७ का नाम उम्मीर खान
 रिवाडी है हजक किया जाये। प्रतिवादी का जन्म १९७०
 की आगे ले उम्मीर शक्ति बाबत एक लाग एवम्
 ड्यूटी प्राप्त होने पर ही उक्त आदेशानुसार बाजल
 रिवाडी में डायम दसगद करे। इकी गांठि डिप्टी
 मुक्ति हो। पनावली फेशन सुगर होकर मजबूत है
 कम हो बाद लकीम दाखिल दाहर ही।

गए निर्णय आज दिनांक २७.५.१९ को खरे इजलास सुनाया गया



उपस्थित अधिकारी
 खण्डेवा (सीकर)

* 8. श्रमिधारी तहसीलदार महोदय खण्डेला
 9. आई.सी. आई.सी. कार्ड. बँक शाखा श्रीमधोपुर जखिपे में
 (प्रतिवादीगण)

⊕ न० 1 ता 3 आरखे को, तथा ख० न० 47 रकम 0.77 हे
 सगुण का प्रतिवादी न० 1 ता 3 को खातेदार कष्टकार घोषित
 किया जाय है। वहन बँक संबंधित कारतकार के हिसले में
 आगी श्रुति पर दर्ज किया जाये। प्रतिवादी ख० 4 ता 7 का
 गण उक्त राजस्व रिहाई से हजम किया जाये। प्रतिवादीगण
 4 ता 7 की ओर से श्रुति वाकत एक ल्याग स्टांप ड्यूटी
 प्राप्त होने पर ही उक्त आदेशों द्वारा राजस्व रिहाई के
 आगम परामद करे।

बपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

